



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. / 203]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2010/चैत्र 30, 1932

No. 203]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2010/CHAITRA 30, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 337(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के कतिपय नियमों में और संशोधन करने के लिए मसौदे को एतद्वारा उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 16(अ), तारीख 7 जनवरी, 2010 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 7 जनवरी, 2010 को प्रकाशित किया गया था और इस आशय की सूचना दी गई थी कि इस अधिसूचना की सार्वजनिक की गई प्रतियों के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

2. और जबकि, उक्त राजपत्र को 7 जनवरी, 2010 को सार्वजनिक किया गया था;

और जबकि, उक्त मसौदा नियमावली पर लोगों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, अतएव, केंद्र सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में निम्नवत् और संशोधन करती है अर्थात् :—

नियमावली

इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 है।

1458 GI/2010

(1)

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की अनुसूची I में,—

(क) "आयुर्वेद" उप-शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्यांक 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"21 (क) रस तंत्र सार व सिद्ध प्रयोग संग्रह, भाग-II (संस्करण 2006)"

(ख) "आयुर्वेद" उप-शीर्षक के अंतर्गत, 54 क की तदनु रूप प्रविष्टियों "भारतीय आयुर्वेदिक फॉर्मूली [xxx]", को "भारतीय आयुर्वेदिक फॉर्मूली और इसके भाग" संबंधी प्रविष्टियों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्यांक 54ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"54 घ भारतीय आयुर्वेदिक भेषजसंहिता एवं इसके भाग"।

(घ) "सिद्ध" उप-शीर्षक के अंतर्गत, क्रम संख्यांक 84 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"85 भारतीय सिद्ध भेषजसंहिता एवं इसके भाग"।

[फा. सं. के. 11020/08/2009-डीसीसी(आयुष)]

बी. आनंद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ-28-10/45-एच (I), तारीख 21 दिसम्बर, 1945 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 45(अ), तारीख 21-1-2010 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

**(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani
Siddha and Homoeopathy)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2010

G.S.R. 337(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, number G.S.R. 16(E), dated the 7th January, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 7th January, 2010, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 7th January, 2010;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 33-N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely:—

RULES

These rules may be called the Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2010.

In the Schedule-I to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940),—

(a) under sub-heading “AYURVEDA”, in the entries after serial number 21, the following shall be added:—

“21 (a) Rastantra Sar Va Siddha Prayog Samgraha Part II (Edition 2006).”

(b) under sub-heading “AYURVEDA”, the entries corresponding to 54A “Ayurvedic Formulary of India [xxx]”, shall be substituted with the entries “Ayurvedic Formulary of India and its Parts”.

(c) after serial number 54C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“54D. Ayurvedic Pharmacopoeia of India and its Parts.”

(d) under sub-heading “SIDDHA”, after serial number 84 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“85. Siddha Pharmacopoeia of India and its Parts.”

[No. K. 11020/08/2009-DCC (AYUSH)]

B. ANAND, Jt. Secy.

Foot Note :— The Principal rules were published in Official Gazette *vide* Notification No. F-28-10/45-H(1), dated 21-12-1945 and the last amended *vide* No. G.S.R. 45(E), dated 21-1-2010.